



भारत सरकार

Government of India कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

Department of Agriculture and Farmers Welfare दक्षिणी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,

Southern Region Farm Machinery Training & Testing Institute

ट्रैक्टर नगर, गार्लदिन्ने, जि. अनंतपुर (आं. प्र.)

Tractor Nagar, Garladinne, District: Anantapur (A.P.)- 515731 An I.S.O. 9001- 2015 Certified Institute

Web.: http://srfmtti.dacnet.nic.in

File No. 1-2/2021-Estt

E-mail: fmti-sr@nic.in

Dated: 12th Sep, 2022

To,

The Director, Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Tractor Nagar, P.O. Budni (M.P.)-466 445. *Email fmti-mp@nic.in.*

The Director, Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Tractor Nagar, Sirsa Road, Hisar, (Haryana)-125001. *Email* fmti-nr@nic.in

The Director, North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Biswanath Chariali, Dist. Biswanath (Asom)-784176. *Email* fmti-ner@nic.in,

IT Division, DAC&FW, Krishi Bhawan, New Delhi – 110 001, Email; web.krishi@nic.in

Subject: Filling up of Six post (UR-3, EWS-1, OBC-1, and ST-1) of "Senior Technicians)" Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial in the Level-4 (Rs.25500-81100) in Pay Matrix on Direct Recruitment basis – Regarding.

Sir,

In pursuance to Ministry's letter No.12-22/2019-M&T (Admn.) dated 06th September, 2022, I am to enclose herewith the Circular for filling up of 6 posts of Senior Technician in FMTTI's being filled on Direct recruitment basis. It is requested to upload the vacancy circular on your Institute/organization website for giving wider publicity to the recruitment.

Yours faithfully,

Encl: As above

(P. Kamalabai)

Senior Agricultural Engineer/H.O.O.

For DIRECTOR

Copy to: The Under Secretary-M&T (Admn.), Email: raj.kumar36@nic.in

For DIPECTOR





भारत सरकार

Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture and Farmers Welfare कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

Department of Agriculture and Farmers Welfare दक्षिणी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,

Southern Region Farm Machinery Training & Testing Institute ट्रैक्टर नगर, गार्लदिन्ने, जि. अनंतपुर (आं. प्र.)

Tractor Nagar, Garladinne, District: Anantapur (A.P.)- 515731 An I.S.O. 9001- 2015 Certified Institute

Web.: http://srfmtti.dacnet.nic.in

File No. 1-2/2021-Estt



E-mail: fmti-sr@nic.in

ADVERTISEMENT NO. SRFMTTI/01/2022

Applications are invited from eligible candidates for filling up of the post of Senior Technician at Farm Machinery Training and Testing Institutes (FMTTI's), subordinate Institutes of the Government of Inida, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare

Name of the post	Pay scale	Mode of recruitment	Trade	No. of vacancies	Category
Senior Technician	Level 4 (Rs. 25500-	Through Direct Recruitment	Tractor Mechanic	01 (One)	UR
(General Central Service,	81100) in the pay matrix		Diesel Mechanic	03 (Three)	UR- 2 nos EWS – 1 no
Group 'C' Non-Gazetted Non- Ministerial)			Mechanic Motor vehicle	01 (One)	OBC
·····iscerial)			Mechanic Agriculture Machinery	01 (One)	ST

2. Requirement for applying for the post of Senior Technician (vide GSR No. 1329 (E) dated 10^{th} October 2017 and G.S.R 774 (E) dated 6^{th} August 2018):

(i)	Age limit for direct recruits	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for
		Government servants upto forty years in accordance
		with the instructions or orders issued by the Central
		Government from time to time.
		Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications.

(ii)	Educational qualifications	(A) (i) Industrial Training Institute (ITI) certificate in Mechanic Agricultural Machinery or Mechanic Motor Vehicle or Mechanic Tractor or Mechanic Diesel Engine;
		(ii) Five years experience in operation and maintenance of tractor or heavy transport vehicle or heavy earthmoving equipments; and
		(B) Possessing valid driving licence of light and heavy duty vehicle and tractor.

- 3. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submitting of application in the advertisement in Employment News.
- 4. Date of birth filled by candidate in the application form and the same recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate will be accepted for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted.
- 5. Certificate (s) for the entire experience claimed, clearly mentioning the duration of employment (date, month & year), nature of duties performed / experience obtained in the post (s) with duration (s) will be considered on merits.

Community reservation :

- 6.1 A candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in case the particular caste to which the candidates belong is included in the list of reserved communities issued by the Central Government.
- 6.2 Scheduled caste (SC/Scheduled Tribe (ST) / Other Backward Class (OBC) candidates have to produce a caste certificate in prescribed proforma from the competent authority indicating clearly the candidate's caste, the Act/order under which the Caste is recognised as SC/ST/OBC and the village/town the candidate is ordinarily a resident of.
- 6.3 A declaration in the prescribed format by candidate seeking reservation as OBC, that he/she does not belong to the creamy layer on the crucial date, in addition to the community certificate (OBC).
- 6.4 Candidates who claim to belong to Economically Weaker Section (EWS) category have to produce Income and Asset certificate issued by a Competent Authority in prescribed Proforma. The crucial date for submitting income ad asset certificate by the candidate may be treated as the closing date for receipt of application for the post.
- 6.5 If a candidate indicates in his/her application form that he/she belong to SC/ST/OBC/EWS/General category but subsequently writes to change his / her category, such requests shall not be entertained.

7. Age relaxation

7.1 Permissible relaxation in upper age limit for different categories are as under :- *

Sl.No	Category	Age-relaxation permissible beyond the upper age limit		
1.	SC/ST	5 years		
2.	OBC	3 years		
3.	PwD (Unreserved)	10 years		
4.	PwD (ST)	15 years		
5.	PwD (OBC)	13 years		
6.	Ex-Servicemen (ESM)	Military service plus 03 years		
7.	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof	03 years		
8.	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof (ST)	08 years		
9.	Central Government Civilian Employees: who, have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of applications	Upto 40 years of age		
10.	Central Government Civilian Employees: who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of applications (ST)	Upto 45 years of age		
11.	Widows/Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried	Upto 35 years of age		
12.	Widows/Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried (ST)	Upto 40 years of age		
13.	Meritorious sportsperson	Upto 5 years		
14.	Meritorious sportsperson (ST)	Upto 10 years		

- 7.2 In order to qualify for the age relaxation for the Defense Personnel, the candidates concerned would be required to produce a certificate that they have been released from the defence Forces.
- 7.3 A candidate claiming to belong to the category of Central Government servant and thus seeking age relaxation would be required to produce a Certificate issued after the date of advertisement from his/her employer on the Office letter head to the effect that he/ she is a regularly appointed Central Government servant and not on casual / adhoc / daily wages / hourly paid / contract basis employee.

8. Scheme of selection

- 8.1 In the event of number of applications being large, short listing criteria to restrict the number of candidates to be called for written / proficiency test will be adopted.
- 8.2 The selection process will include verification of candidate, verification of documents,

- 8.3 All the candidates have to appear for document verification along with photocopies and original documents, in support of the claim made in their application.
- 8.4 The candidates who qualify the document verification will be allowed to appear for skill/proficiency test. Skill/proficiency test will be qualifying nature as per the qualifying standards fixed.
- 8.5 The candidates have to score the minimum percentage of marks fixed in written test. The merit list will be drawn based on the marks obtained in written test.
- 8.6 Resolution of tie cases: In cases where more than one candidate secures the equal aggregates marks in written test, tie will be resolved by applying the following methods:
- (i) Date of birth, with older candidates placed higher
- (ii) Candidate acquiring essential qualification earlier would be senior
- 8.7 The admission of the candidates at all stages of the selection process will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any time before or after the selection process, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled.
- 8.8 Success in the selection process confers no right of appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service/post.
- 8.9 Candidates selected for appointment are liable to service anywhere in India i.e the posts carry All India service Liability. Place of posting can be any of the Farm Machinery Training and Testing Institute, situated at Budni (Madhya Pradesh/Hisar (Haryana) / Anantapur (Andhra Pradesh) / Biswanath Charaili (Assam) or any other Institutes likely to be set up in future.
- 8.10 The decision of the competent authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of tests, preparation of merit list and post allocation, debarment for indulging in malpractices will be final and binding on the candidates and no enquiry / correspondence will be entertained in this regard.
- 8.11 The Competent Authority in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare reserves the right no to fill up any or all advertised posts, cancel the advertisement in whole or in part at any stage in case of any inadvertent mistake in the process of selection which may be detected at any stage even after the issue of offer of appointment.

General terms and condition of service:

- 1. The post is permanent and covered under "Defined Contribution Pension System".
- 2. The terms and conditions will be covered under Central Civil Services rules issued by Government of India from time to time.
- 3. The interested and eligible candidates may apply on plain paper with full bio-data containing Name in full (Block letters), Father's name, date of Birth (as per Christian era), Nationality, Religion, Caste, disability, Home address (with Pin code, Telephone number, Mobile number, email), Address for correspondence (with Pincode, Telephone number, Mobile number, email), Educational qualifications, Details of experience etc. Passport size photograph carrying the signature of candidate on it need to be pasted on the biodata. Self-attested copies of testimonials of age, educational qualification, experience, caste, disability certificate etc issued by respective competent authority, the prescribed format need to be attached.

- 4. Candidates working in Central Government / State Government / Public Section Undertaking / Autonomous Bodies should apply through proper channel along with Certificate from their employer that neither any disciplinary case is pending nor contemplated against him otherwise application will not be considered.
- 5. No correspondence / enquiries will be entertained and canvassing in any form will be a disqualification.
- 6. Duly filled application in the prescribed Proforma accompanied by required documents should be sent to The Director, Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Tractor Nagar, Garladinne P.O., Anantapur (Andhra Pradesh)- 515731 so as to reach them within 60 days from the date of publication of the advertisement in the Employment News. The cover containing the application should be superscribed as "Application for the post of Senior Technician". Application (s) received after the due date and application (s) received through E-mail, Fax or similar means will not be considered.

Advt. No	Date
----------	------

Application for the post of Senior Technician at Farm Machinery Training and Testing Institutes, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Affix latest passport size photo of the candidate

1.	Name in full (Block Letters)	:	
2.	Father's Name (in Full)	:	
3.	Date of Birth (as per Class 10 th Certificate)	:	
4.	Whether married?	:	
5.	Nationality	:	
6.	Religion	:	
7.	Caste with supporting document (only for SC/ST/OBC applicants)	:	
8.	Permanent address	:	

 Address for communication along with PIN code & Telephone with STD code / Mobile Number / Email

10. Educational Qualification (starting from HIGHEST qualification attained)

Class /ITI/Diploma/ Degree/PG	Year of passing	Division	Percentage of marks	Name of Institution/ University	Subjects

11. Details of Experience (starting from latest employment):

Name of post	Name of organization	Whether Govt.	From	То	Nature of duties

Note: Copies of all documents submitted must be self attested.

Declaration: I hereby certify with my consciousness that the above information provided by me is correct and genuine to the best of my knowledge and nothing has been concealed.

	Signature of Applicant
Date	
Place	



भारत सरकार

मिक्षाण विभाग कल्याण विभाग Ministry of Agriculture and Farmers Welfare फलाहम णाष्ट्रक नामकी हंग थिक Government of India



Tractor Nagar, Garladinne, District: Anantapur (A.P.)- 515731 ट्रैक्टर नगर, गालीदेने, जि. अनंतपुर (ऑ. प्र.) Southern Region Farm Machinery Training & Testing Institute , नाथ्ने मं एक्षीप हंग एक्षिश हं छी के हि कि कि Department of Agriculture and Farmers Welfare



E-mail: fmti-sr@nic.in

Web.: http://srfmtti.dacnet.nic.in

File No. 1-2/2021-Estt

विज्ञापन संख्या एस. आर. एफ. एम. टी. री. आई./01/2022

An I.S.O. 9001-2015 Certified Institute

। हैं जिर्फ प्रकी जिल्लास कड़िक्स कि फ्रिक्डिक्स हाए प्रज़ी के किप्स कि उप के नम्मानिकित ठग्रीम से (.ड्रास्.रि.रि.स्प.तण्ण) लिएडम्स एम्ब्रिस्प प्रीतिकार रिनिष्टिस सेतल लिएडम्स भारत सरकार, कृषि और किसान कत्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कत्याण विभाग के अधीनस्थ

.ि. सग	(주7) 10	फिनाइम शिकु क्रिक्स				
.ரி.ரே.ரே	(64)	मोटर वाहन क्रीकेलिक				मंत्रालयी)
1 ई:2बर्ज्यं.प्रसः –				女	(-/001,18	प्रतिसं फ्नासास) भः त्रुस्स ,गाव्स भराजपात्रत, भर-
अनारक्षित - 2	03 (धुच)	डीजल भेकेजिक	मध्यम से	b -	अवल	तकनीशियन
अनारक्षित	(화기) 10	केनिक्स रुउक्टू	क् फिस क्षिफ	茶	मे भेट्रिक्स	ठग्रीघ
ीर्णक	कि पॅफ्तयां संख्या	<u>इर्</u>	किंदि का सिक		व्ययभाव	मद का नाम

-: प्राप्तकप्रशास ग्रह्म के किएक कड़िशास उप उप के काषशीकिक ठयीव त्रोक्तकस के 8102.80.80 कांन्ज्री (ई) भर पंख्या १३८९ (ई) स्था १३८५ मध्या १३८५ हो ।

।(ठख्नु प्रजी कं र्यंप्रीप्टिकक प्रिक्रप्त छिपाः पेप्रकात्रम कि किष्क मित्रीयिन प्रमिष्ट प्राप्त :गण्ण्ऽी ।पिष्ठि शिनि मिन्तांस कि निगाप कि किञ्चास		
क कारी निर्देशी या आदेश के मनुसार गामीस साल तक क		
18-27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय	भीदी भरी के लिए आयु सीमा	(i)

(ii)	शैक्षिक योग्यता	(क.) (i) मैकेनिक कृषि मशीनरी या मैकेनिक मोटर वाहन या
		मैकेनिक ट्रैक्टर या मैकेनिक डीजल इंजन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) का प्रमाण पत्र
		(ii) ट्रैक्टर या भारी परिवहन वाहन या भारी अर्थमूविंग उपकरणों के संचालन और रखरखाव में पांच साल का अनुभव और
		(ख.) हल्के और भारी ड्यूटी वाले वाहन और ट्रैक्टर का वैध ड्राइविंग लाइसेंस

- 3. हर दृष्टि से, सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि, रोजगार समाचार में विज्ञापन में आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी।
- 4. आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्म तिथि और मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई समान तिथि को आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में इसमें परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 5. दावा किए गए पूरे अनुभव के लिए प्रमाण पत्र, स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख, महीने और वर्ष) का उल्लेख करते हुए, किए गए कर्तव्यों की प्रकृति / अवधिओं के साथ पदों में प्राप्त अनुभव पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

सामुदायिक आरक्षणः

- 6.1 एक उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होगा, जब केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में उम्मीदवार विशेष जाति के हों।
- 6.2 अनुसूचित जाति (एस.सी.) / अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में एक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, अधिनियम / आदेश जिसके तहत जाति को एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. के रूप में मान्यता दी गई है और सामान्यतया उम्मीदवार जिस गांव / कस्बे का निवासी है।
- 6.3 ओ.बी.सी. के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा, कि वह समुदाय प्रमाण पत्र (ओ.बी.सी.) के अलावा, महत्वपूर्ण तिथि पर क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।
- 6.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मा में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण तिथि को, पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में माना जा सकता है।
- 6.5 यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में इंगित करता है कि वह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्ल्यू.एस. / सामान्य श्रेणी से संबंधित है, लेकिन बाद में अपनी श्रेणी बदलने के लिए लिखता है, तो ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. <u>आयु में छूट</u>

7.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-

क्रमांक	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु में छूट
		की अनुमति
1.	एस.सी. / एस.टी.	5 वर्ष
2.	ओ.बी.सी.	3 वर्ष
3.	पी.डब्ल्यू.डी. (अनारिक्षत)	10 वर्ष
4.	पी.डब्ल्यू.डी. (एस.टी.)	15 वर्ष
5.	पी.डब्ल्यू.डी. (ओ.बी.सी.)	13 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक (ई.एस.एम.)	सैन्य सेवा प्लस ०३ वर्ष
7.	रक्षा कार्मिक किसी विदेशी देश के साथ या अशांत क्षेत्र	03 वर्ष
	में शत्रुता के दौरान ऑपरेशन में अक्षम और उसके	
	परिणामस्वरूप जारी किया गया	
8.	रक्षा कार्मिक किसी भी विदेशी देश के साथ या अशांत	08 वर्ष
	क्षेत्र में शत्रुता के दौरान ऑपरेशन में अक्षम और उसके	
	परिणामस्वरूप जारी किया गया (एस.टी.)	
9.	केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारी: जिन्होंने आवेदन	40 वर्ष की आयु तक
	प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष की	
	नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है	
10.	केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारी: जिन्होंने आवेदन	45 वर्ष की आयु तक
	प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 साल की	
	नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है (एसटी)	
11.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/महिलाएं न्यायिक रूप से	35 वर्ष की आयु तक
	अलग हो गई हैं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है	
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/महिलाएं न्यायिक रूप से	40 वर्ष की आयु तक
	अलग हो गई हैं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है	
	(एस.टी.)	
13.	मेधावी खिलाड़ी	5 साल तक
14.	मेधावी खिलाड़ी (एस.टी.)	10 साल तक

- 7.2 रक्षा कर्मियों के लिए आयु में छूट के लिए अईता प्राप्त करने के लिए, संबंधित उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा बलों से निर्मुक्त कर दिया गया है।
- 7.3 केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले और इस प्रकार आयु में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवार को अपने नियोक्ता से कार्यालय के लेटर हेड पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह नियमित रूप से केंद्र सरकार का कर्मचारी नियुक्त किया गया है न कि आकस्मिक / तदर्थ / दैनिक वेतन / प्रति घंटा भुगतान / अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी है।

चयन की योजना

- 8.1 आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, लिखित/दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के आधार पर सीमित किया जाएगा।
- 8.2 चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार का सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन, कौशल / प्रवीणता परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल होगी।

- 8.3 सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में फोटोकॉपी और मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 8.4 दस्तावेज सत्यापन में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कौशल/दक्षता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित योग्यता मानकों के अनुसार कौशल/दक्षता परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
- 8.5 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- 8.6 टाई के मामलों का समाधान: ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक उम्मीदवार लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, टाई निम्नलिखित विधियों को लागू करके हल किया जाएगा:
- (i) जन्म तिथि, अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रखा जाएगा ।
- (ii) पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त करने वाला उम्मीदवार वरिष्ठ होगा
- 8.7 चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में उम्मीदवारों का प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। चयन प्रक्रिया से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 8.8 चयन प्रक्रिया में सफलता तब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं देती जब तक कि सरकार ऐसी जांच के बाद संतुष्ट न हो जो आवश्यक समझी जाए कि उम्मीदवार सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- 8.9 नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार भारत में कहीं भी सेवा के लिए उत्तरदायी हैं यानी पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व है। तैनाती का स्थान बुदनी (मध्य प्रदेश)/हिसार (हरियाणा)/अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)/बिश्वनाथ चेरियाली (असम) में स्थित फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान या भविष्य में स्थापित होने वाले किसी अन्य संस्थान में से कोई भी हो सकता है।
- 8.10 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षाओं का आयोजन, योग्यता सूची तैयार करना और पोस्ट आवंटन, कदाचार में लिप्त होने पर रोक से संबंधित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी और इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8.11 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के पास चयन की प्रक्रिया में किसी भी अनजाने गलती के मामले में किसी भी या सभी विज्ञापित पदों को भरने, विज्ञापन को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी स्तर पर रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है यहाँ तक कि नियुक्ति के प्रस्ताव के जारी होने के बाद भी।

सेवा के सामान्य नियम और शर्तै:

- 1. यह पद स्थायी है और "परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली" के अंतर्गत आता है।
- 2. नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत शामिल होंगी।
- 3. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सादे कागज पर पूरे बायोडाटा के साथ आवेदन कर सकते हैं जिसमें पूरा नाम (बड़े अक्षरों में), पिता का नाम, जन्म तिथि (ईसाई युग के अनुसार), राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलांगता, घर का पता (पिनकोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ), पत्राचार के लिए पता (पिनकोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ), शैक्षिक योग्यता, अनुभव का विवरण आदि। पासपोर्ट आकार की तस्वीर जिस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों, को बायोडाटा पर चिपकाना है। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आयु, शैक्षिक योग्यता अनुभव जाति विकलांगता प्रमाण पत्र आदि के प्रशंसापत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां, निर्धारित प्रारूप में

- 4. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक अनुभाग उपक्रम/स्वायत निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए कि उनके खिलाफ न तो कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित है और न ही विचार किया जा रहा है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5. कोई पत्राचार/पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा और किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगी।
- 6. आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरा हुआ आवेदन निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर, गार्लदिन्ने पी.ओ., अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) 515731 को भेजा जाना चाहिए और रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आवेदन उन तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आवेदन वाले कवर पर "वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए। नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन (आवेदनों) और ई-मेल, फैक्स या इसी तरह के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन	संख्या	दिनांक
----------	--------	--------

वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए आवेदन फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

उम्मीदवार की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

- 1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
- 2. पिता का नाम (पूरा)
- 3. जन्म तिथि (कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार)
- 4. क्या विवाहित है?
- 5. राष्ट्रीयता
- 6. धर्म
- सहायक दस्तावेज के साथ जाति
 (केवल एससी/एसटी/ओबीसी आवेदकों के लिए)
- 8. स्थायी पता
- 9. एस.टी.डी. कोड के साथ टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर/ ई.मेल और पिनकोड के साथ संचार के लिए पता
- 10. शैक्षिक योग्यता (उच्चतम योग्यता प्राप्त करने से शुरू)

कक्षा /	उ त्तीर्ण	डिवीजन	अंकों का	संस्थान/विश्वविद्यालय	विषय
आईटीआई	होने का		प्रतिशत	का नाम	
1	वर्ष				
डिप्लोमा					
/ डिग्री /					
पीजी					
					, and the same of

11. अनुभव का विवरण (नवीनतम रोजगार से शुरू):

पद का नाम	संगठन का नाम	क्या सरकारी है या निजी	कब से	कब तक	इ्यूटी की प्रकृति

नोट: जमा किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां स्वप्रमाणित होनी चाहिए। घोषणा: मैं अपनी चेतना के साथ प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और वास्तविक है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक	
स्थान	